

2020/00273

FORM No. III

# फर्द अहकाम


(नियम 20)

मुकाम ..... (गणेशगिरी)

बनाम ..... (गुरदीनाथ)

नं. ..... (निहालविह) संन. 117/2020

प्रमाण 30.07.20

द्वयम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस द्वयम की लागूज में जारी हुए
<p>120 प्राप्ति पत्र दर्ज रजिस्टार हो। अत्राकीको को जटिल मोरिह तमब कर प्रभाव दिनांक 23/11/20 को पेश हो।</p>	
<p>पीठासीन अधिकारी का मुकाम का मुकाम 1111) पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 01/31/20 को पेश हो</p> <p>रीडर</p> <p>एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना</p>	
<p>11312) 1050 ग्राम में उपर 1 ग्राम का 2020/15 के काफ़ दिनांक 13/5/21 को पेश हो</p> <p>पीठासीन अधिकारी का मुकाम का मुकाम</p>	
<p>135/2) पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15/02/21 को पेश हो</p> <p>रीडर</p> <p>एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना</p>	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामीज में  
जारी हुए

# - प्रमाण पत्र दुकान 1250 यामरी में  
 जाहिर किया कि ऊपर यामरी (अपना)  
 सापेक्षा पत्र को नही चलाना चाहिए  
 है। सापेक्षा पत्र यामरी इति स्तर पर  
 रखा जाये का विवेक किया है  
 इस बाबत 1250 यामरी में यामरी  
 पत्र को ~~Not-press~~ किया है  
 कि, सापेक्षा पत्र यामरी 1250 यामरी  
 के ~~not~~ प्रेश के आधा पर  
 उनी स्तर पर रखा जाना है  
 प्रमाण पत्र होकर नया के वम  
 है। वास्तविक रूप है।

Not Press  
ms

1